न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–58 / 2015–16

सत्यनारायण सिंह वगैरह बनाम मोसमता चिन्ता देवी वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
21/04/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0 10 / 2015–16, 11 / 2015–16, 12 / 15–16, 13 / 15–16 एवं 14 / 15–16 में संयुक्त रूप से भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 24.11.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से यह तथ्य सामने आते है। (1) इस वाद के विपक्षीगण के द्वारा अंचलाधिकारी, पटना सदर को इस वाद के आवेदकगण के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड के लिए कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु आवेदन दिया गया था। अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा जमाबंदी रद्द वाद सं0 16 / 2013–14 संधारित कर अग्रतर कार्रवाई हेतु अपर समाहर्ता, पटना को भेजा गया था। अंचलाधिकारी, पटना सदर के जमाबंदी रद्द वाद सं0 16 / 2013–14 के आधार पर इस न्यायालय में जमाबंदी रद्द वाद सं0 92 / 2013–14 आरम्भ किया गया। (2) अपर समाहर्ता, पटना के द्वारा सुनवाई के उपरान्त दिनांक 26.08.2014 को विस्तृत आदेश पारित कर प्रश्नगत मामले को अंचलाधिकारी, पटना सदर को Remand करते हुए निदेशित किया गया कि अंचलाधिकारी, पटना सदर सभी पक्षकारों को पूर्व सूचना देकर वाद ग्रस्त स्थल की जांच करें। Memo of Inspection तैयार करें तथा उभय पक्ष को पुनः सुन कर नये सिरे से आदेश पारित करें। (3) अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा Memo of Inspection तैयार कर, उभय पक्षों को सुन कर दिनांक 21.03.2015 को पारित आदेश में दखल–कब्जा एवं साक्ष्यों के आधार पर इस वाद के विपक्षी आलोक कुमार सिंह वगैरह श्रीमती शबनम एवं मो0 रोहणी देवी के नाम से कायम जमाबंदी क्रमशः 19825, 19822 एवं 17683 को विधि सम्मत बताते हुए कायम रखने का आदेश दिया गया है। (4) इस वाद के आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में जमाबंदी रद्द वाद सं0 92 / 2013–14 में अपर समाहर्ता, पटना के द्वारा दिनांक 26.08.2014 में पारित आदेश तथा जमाबंदी रद्द वाद सं0 16 / 2013–14 में अंचलाधिकारी, पटना सदर के	

द्वारा दिनांक 21.03.2015 को पारित आदेश की प्रति दाखिल की गयी थी, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा प्रश्नगत दाखिल खारिज अपील वाद सं0 10, 11, 12, 13 एवं 14/2015–16 में दिनांक 24.11.2015 को आदेश पारित करते हुए अपर समाहर्ता तथा अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा क्रमशः जमाबंदी रद्द वाद सं0 92/2013–14 एवं 16/2013–14 में पारित आदेशों पर ध्यान नहीं दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा प्रश्नगत अपील वादों में आदेश पारित करते समय प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में पूर्व में पारित इस आदेशों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक था।

अतः दाखिल खारिज अपील वाद सं010, 11, 12, 13 एवं 14/2015–16 में संयुक्त रूप से दिनांक 24.11.2015 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए वाद को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर को Remand करते हुए निदेश दिया जाता है कि

(1) जमाबंदी रद्द वाद सं0 92/2013–14 में अपर समाहर्ता, पटना के द्वारा दिनांक 26.08.2014 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करते हुए पुनः आदेश पारित करें।

(2) जमाबंदी रद्द वाद सं0 16/2013–14 अन्तर्गत अंचलाधिकारी, पटना सदर के दिनांक 21.03.2015 को पारित आदेश तथा Memo of Inspection के तथ्यों पर भी ध्यान दें।

उभय पक्षों को पुनः सुने। स्वंय स्थल निरीक्षण कर साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

31/4/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

31/4/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना